



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 15 राँची, बुधवार

13 मई, 2026 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 465-472 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग****संकल्प**

31 जुलाई, 2024

ज्ञापांक -05/म.स./स.क.बोर्ड-202/2023-1755--

विषय:- झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राँची के विघटन, उसके अधीन कार्यरत कर्मियों का समायोजन तथा आस्तियों का निस्तारण की स्वीकृति।

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड विभागीय अधिसूचना सं0-1218(A) दिनांक 30.10.2004 द्वारा गठित था।
2. एतद् गठित बोर्ड के स्थापना व्यय यथा-पदाधिकारी/कर्मों के वेतनादि भुगतान, पेंशन अंशदान, सेवानिवृत्ति लाभ, बोर्ड कार्यालय संचालन के व्यय इत्यादि के वहन 50:50 अनुपात में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सहमति राज्य सरकार के पत्रांक-722, दिनांक-19.07.2003 द्वारा प्रदत्त थी।
3. बोर्ड गठन के समय अंतिम संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का पत्र सं.-4959 दिनांक-20.07.2005 द्वारा विभिन्न पद समूहों के निम्नवत् कुल 06 पद उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य के समाज कल्याण बोर्ड के लिए प्राप्त थे:-

क्र.	पदनाम	पदों की सं.
1	निजी सहायक	01
2	सहायक	02
3	टंकक	01
4.	चालक	01 (रिक्त प्राप्त)
5.	आदेशपाल	01 (रिक्त प्राप्त)

कालान्तर में वर्ष 2010 में राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक-1497, दिनांक-03.09.2010 द्वारा विभिन्न पद समूहों के निम्नवत् कुल 10 पद सृजन किया गया था:-

क्र.	पदनाम	पदों की सं.	वेतनमान
1	सचिव (राज्य प्रशासनिक सेवा के अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी)	01	15600-39100 ग्रेड पे-6600
2	लेखापाल	01	5200-20200 ग्रेड पे-1900
3	सांख्यिकी सहायक	01	9300-34800 ग्रेड पे-4200
4	निजी सहायक (अध्यक्षा हेतु)	01	9300-34800
5	आशुलिपिक	01	5200-20200 ग्रेड पे-1900
6	सहायक	02	5200-20200 ग्रेड पे-1900
7	चालक (बाह्य श्रोत से)	02	5200-20200 ग्रेड पे-1900
8	आदेशपाल (बाह्य श्रोत से)	01	44400-7440 ग्रेड पे-1300

अर्थात् झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राँची के लिए कुल 16 पद सृजित हैं। संप्रति निम्नलिखित 03 कर्मों कार्यरत हैं:-

क्र.	कार्यरत कर्मों का नाम, पदनाम एवं दिनांक 01.07.2023 को प्राप्त वेतनमान	जन्म तिथि	राज्य समाज कल्याण बोर्ड में योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	शैक्षणिक योग्यता
1.	श्री पंकज कुमार गुप्ता, सांख्यिकी सहायक, (लेवल-6-47600)	25.10.1984	06.09.2013	31.10.2044	अर्थशास्त्र में स्नातक।
2.	श्री रोयन तिर्की, चालक, लेवल-2-33000	21.01.1972	01.12.2006	31.01.2032	नन-मैट्रिक
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार, आदेशपाल, लेवल-1-28000	05.10.1973	01.12.2006	31.10.2033	मैट्रिक

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं.-CSWB-016/32/2021-CSWB(95239) दिनांक-30.04.2023 द्वारा संसूचित है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली का परिसमापन कर दिया गया है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं.-CSWB-016/32/2021-CSWB(95239), दिनांक-13.07.2023 द्वारा संसूचित है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से झारखण्ड राज्य

समाज कल्याण बोर्ड के अधीन क्रियान्वित सम्प्रति एक मात्र योजना यथा परिवार परामर्श केन्द्रों का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से वन स्टाप सेंटर (OSC) योजना के अधीन संचालन करने का निर्णय लिया गया है।

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं.-CSWB-016/32/2021-CSWB(95239), दिनांक-30.04.2023 द्वारा राज्यों से अनुरोध किया गया है कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड में कार्यशील सभी कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों पर शीघ्रताशीघ्र समायोजन कराया जाय, ताकि किसी अवांछनीय परिस्थितियों से बचा जा सके, निर्देशांश निम्नवत् है:-

"Appropriately making arrangement for absorbing State Social Welfare Board employees in the ongoing State Govt. programmes so as to avoid any kind of hardship to the employee of the State Social Welfare Board."

7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं.-CSWB-016/32/2021-CSWB(95239), दिनांक-30.04.2023 में यथा वर्णित "राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के संचालन की स्थिति में सभी वित्तीय भार के वहन की जिम्मेवारी शत-प्रतिशत राज्य सरकार की होगी।
8. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पत्रांक-2501-2533, दिनांक-10.07.2023 द्वारा संसूचित है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड के स्थाना मद में बजटीय उपबंध नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
9. उल्लेखनीय है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार का पत्रांक-08, दिनांक-16.03.2023 तथा कार्मिक विभाग, सिक्किम सरकार का अधिसूचना सं.-92/GEN/DOP, दिनांक-02.09.2022 द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड में कार्यरत कर्मियों को संबंधित विभाग के अधीन रिक्त पदों पर समायोजित किया गया है।
10. उल्लेखनीय है कि उप निदेशक, कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत समाज कल्याण/बाल विकास परियोजना कार्यालयों में झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राँची में सम्प्रति कार्यरत कर्मियों के समरूप पदों की स्थिति निम्नवत् है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1.	सांख्यिकी सहायक	50	01	49
2.	चालक	32	06	26
3.	आदेशपाल	57	28	29

11. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड के विघटन का प्रस्ताव है।
- (ii) झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड में कार्यरत सम्प्रति तीन कर्मियों को धारित पदानुसार वर्तमान में प्राप्त वेतनमान पर समायोजन उप निदेशक कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत समाज कल्याण/समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में रिक्त पदों पर किया जाता है। उक्त

कार्यरत कर्मियों को संबंधित परियोजना अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के सदस्य सभी सुविधाएँ देय होगी तथा भविष्य में प्रदाय सभी लाभों (सेवानिवृत्ति, वित्तीय उन्नयन आदि) हेतु सेवावधि की गणना झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में की गई नियुक्ति की तिथि से होगा। कर्मियों को वरीयता क्रमांक परियोजना अन्तर्गत समकक्ष प्रकृति के पद हेतु तत्समय प्रवृत्त वरीयता क्रमानुसार निर्धारित होगा:-

क्र.सं.	कार्यरत कर्मियों का नाम, पदनाम एवं दिनांक 01.07.2023 को प्राप्त वेतनमान	जन्म तिथि	राज्य समाज कल्याण बोर्ड में योगदान की तिथि	रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजन का स्वीकृति
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	श्री पंकज कुमार गुप्ता, सांख्यिकी सहायक, (लेवल-6-47600)	25.10.1984	06.09.2013	कर्मियों के धारित पदानुसार उप निदेशक, कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत जिला समाज कल्याण/ समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में सांख्यिकी सहायक/ चालक/ आदेशपाल के रिक्त पद पर समायोजन ।
2.	श्री रोयन तिकी, चालक, लेवल-2-33000	21.01.1972	01.12.2006	
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार, आदेशपाल, लेवल-1-28000	05.10.1973	01.12.2006	

12. उक्त 03 कर्मियों के समायोजन से वेतन भत्ते पर राज्य सरकार पर अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार लगभग रु. 11,50,000.00 (ग्यारह लाख पच्चास हजार रुपये) मात्र होगा।
13. झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राँची के चल आस्तिया विघटन के उपरान्त स्वतः विभाग के नियंत्रणाधीन हो जायेंगे
14. एदत् प्रावधान इसके संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
15. एदत् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-24.07.2024 को सम्पन्न बैठक की मद सं0-15 के रूप में स्वकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

2 अप्रैल, 2026

संख्या-13 / पी₂—101 / 2025— 1340--सी० 'भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान लेवल—11 में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:—

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री शुभम कुमार खण्डेलवाल, भा०पु०से० (2021)	दिनांक-28.03.2025
2	श्री गौरव गोस्वामी, भा०पु०से० (2021)	दिनांक-28.03.2025
3	श्री एस० मोहम्मद याकुब, भा०पु०से० (2021)	दिनांक-22.06.2025
4	श्री शिवम प्रकाश, भा०पु० से० (2022)	दिनांक-01.01.2026

2 उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2026

संख्या-1/विविध-806/2024 का- 2506--श्री उत्कर्ष कुमार, भा.प्र.से. (झा:2021), उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-01.05.2026 से 11.05.2026 तक कुल 11 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2026

संख्या-1/विविध-830/2016 का- 2501--सुश्री माधवी मिश्रा, भा.प्र.से. (झा:2015), निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-13(1) के तहत कुल 30 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश के बदले दिनांक-16.04.2026 से 30.04.2026 तक कुल 15 दिनों का रुपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 मई, 2026

संख्या-13/आई०पी०एस०-106/2020-1840—श्री धनंजय कुमार सिंह, भा०पु०से० (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, जंगलवार फेयर स्कूल, नेतरहाट को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-22.04.2026 से 11.05.2026 तक कुल 2:0 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. विभागीय अधिसूचना सं०-1386 दिनांक-07.04.2026 के आलोक में श्री धनंजय कुमार सिंह, भा०पु०से० (2010) के अवकाश अवधि में श्री किशोर कौशल, भा०पु०से० (2012), पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक, जंगलवार फेयर स्कूल, नेतरहाट के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2026

संख्या-13/आई०पी०एस०-109/2022-1747--भा०पु०से० (2006), पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-19.07.2026 से दिनांक-श्री सुदर्शन प्रसाद मण्डल, 07.08.2026 तक कुल 20 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । साथ ही, उक्त अवधि में उन्हें निजी व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु **विदेश (United Kingdom (U.K))** जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. श्री सुदर्शन प्रसाद मण्डल, भा०पु०से० (2006) के अवकाश अवधि में श्रीमती अन्नेपुविजयलक्ष्मी, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।